रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266219
CG-DL-E-17092025-266219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 601] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 647(अ).— केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "9%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 556(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 647(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 675(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry “9%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 3/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 675(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022-Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 556(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 648(अ).— एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "18%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 557 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 648(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 668(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry "18%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No.3/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 668(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022- Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 557(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 11/2025-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 649(अ).— संघ राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 712 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, का निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "9%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 3/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 712(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 558 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 11/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 649(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 3/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry under column (4), the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 3/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 712(E), dated the 28th day of June, 2017 and last amended by notification No. 08/2022- Union Territory Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 558(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 650(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 650(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i) *vide* number G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018, namely:-

In the said notification, for the words, brackets, and figures “Schedule IV of Notification No. 1/2017 -Central Tax (Rate)”, the following shall be substituted, namely:- “Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 - Central Tax (Rate)”.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 8/2018-CentralTax (Rate), dated the 25th January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 82(E), dated the 25th January, 2018 and last amended vide Notification No. 04/2025-Central Tax (Rate), dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 59(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 651(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/ 2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 651(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i) *vide* number G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, for the words, brackets, and figures, “Schedule IV of Notification No. 1/2017-Integrated Tax (Rate)”, the following shall be substituted, namely:- “Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 - Integrated Tax (Rate)”.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 9/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 25th January 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 86(E), dated the 25th January, 2018 and last amended by Notification No. 04/2025-Integrated Tax (Rate) dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 61(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 12/2025 - संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 652(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 8/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 60(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 12/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 652(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018, namely :-

In the said notification, for the words, brackets, and figures, “Schedule IV of Notification No. 1/2017-Union Tax (Rate)”, the following shall be substituted, namely:- “Schedule II or Schedule III of Notification No. 9/2025 – Union Territory Tax (Rate)”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 8/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 25th January 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 90(E), dated the 25th January, 2018 and last amended by Notification No. 04/2025-Union Territory Tax (Rate) dated the 16th January, 2025, *vide* G.S.R. 60(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 653(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वैलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वैलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %

6.	4503 90 90, 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %

22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %
30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %

37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 21/2018-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 898(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 653(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3,sub-section (i) *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018, namely:-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	**Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item**	**Description of Goods**	**Rate**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	3406	Handcrafted candles	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10,	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5 %

	4202 31 90, 4202 32, 4202 39		
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	2.5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	2.5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	2.5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	2.5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	2.5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	2.5 %

26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	1.5 %
28.	7326 90 99	Artware of iron	2.5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	2.5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5 %
35.	9504	Ganjifa card	2.5 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	2.5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5 %

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 21/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Central Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 *vide* G.S.R. 898(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 654(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं..	**अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद**	**वस्तुओं का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वैलरी बॉक्स	5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वैलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	5 %
6.	4503 90 90 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %

7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	5 %
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	5%
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	5 %

25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	3%
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	3%
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	5 %
30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	5 %”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 654(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*), *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018, namely :-

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	5 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah	5 %

		[including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	5%
10.	5607, 5609	Coir articles	5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	5%
12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl blue potteries)	5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	5%
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	5 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	3%
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	3%
28.	7326 90 99	Artware of iron	5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol,	5 %

		Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	5 %
35.	9504	Ganjifa card	5 %
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	5 %"

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 22/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Integrated Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 *vide* G.S.R. 899(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 13/2025 – संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 655(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं..	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वैलरी बॉक्स	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	2.5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	2.5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वैलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	2.5 %
6.	4503 90 90, 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लैटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	2.5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	2.5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	2.5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	2.5%

11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	2.5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	2.5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	2.5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	2.5 %
15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	2.5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	2.5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	2.5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	2.5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	2.5 %
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	2.5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	2.5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	2.5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	2.5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती है)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	2.5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	2.5 %

30.	7616 99 90	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	2.5 %
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	2.5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	2.5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	2.5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	2.5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	2.5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	2.5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	2.5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	2.5 %”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 21/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 900(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 13/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 655(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*), *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018, namely:—

In the said notification, for the Table and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"TABLE

S. No.	**Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item**	**Description of Goods**	**Rate**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	2.5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	2.5 %
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	2.5 %
4.	4414	Wooden frames for painting, photographs, mirrors, etc.	2.5 %
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work (including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft)	2.5 %
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork (including articles of sholapith)	2.5 %
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah [including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5 %
8.	4802	Hand-made paper and paperboard	2.5 %
9.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
10.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps	2.5%

12.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5 %
13.	5804 30 00	Handmade lace	2.5 %
14.	5805	Hand-woven tapestries	2.5 %
15.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5 %
16.	5810	Hand embroidered articles	2.5 %
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls	2.5 %
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	2.5 %
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	2.5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	2.5%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl. blue potteries)	2.5 %
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	2.5 %
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5 %
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	2.5 %
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	2.5 %
26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5 %
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewellery, cardamom garland)	1.5 %
28.	7326 90 99	Artware of iron	2.5 %
29.	7419 80	Artware of brass, copper/copper alloys, electro plated with nickel/silver	2.5 %
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	2.5 %
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	2.5 %
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including Panchloga lamp)	2.5 %
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan, and cane	2.5 %
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material (including wooden toys of Sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	2.5 %
35.	9504	Ganjifa card	2.5 %

36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell, and other animal carving material	2.5 %
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving materials and articles thereof; articles of wax, Stearin, natural gums or natural resins, or of modelling pastes, etc. (including articles of lac, shellac)	2.5 %
38.	9701	Hand paintings, drawings, and pastels (including Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, Basoli, etc.)	2.5 %
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone, or any other material	2.5 %"

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 21/2018-Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018 and last amended vide Notification No. 20/2021-Union Territory Tax (Rate) dated the 28th December, 2021 *vide* G.S.R. 900(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 656(अ).— केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की केंद्रीय कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 656(E).— - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the central tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	**Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter**	**Description**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation. — For the purposes of this notification, —

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 657(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 12 प्रतिशत की एकीकृत कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 657(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax of 12 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on inter-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 658(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की संघ राज्यक्षेत्र कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 658(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017(12 of 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the union territory tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

***Explanation*.** — For the purposes of this notification, —

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 02/2025 – प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 659(अ).— माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,

अनुसूची में, —

i. क्रम सं. 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

ii. क्रम सं. 3 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

iii. क्रम सं. 4 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

iv. क्रम सं. 4क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

v. क्रम सं. 4ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

vi. क्रम सं. 39 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

vii. क्रम सं. 40 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

viii. क्रम सं. 41 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

ix. क्रम सं. 42 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

x. क्रम सं. 47 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xi. क्रम सं. 48 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xii. क्रम सं. 50 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xiii. क्रम सं. 51 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xiv. क्रम सं. 52 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xv. क्रम सं. 52क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xvi. क्रम सं. 52ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xvii. क्रम सं. 53 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xviii. क्रम सं. 54 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

xix. क्रम सं. 55 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2023- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 02/2025-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 659(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification,

in the SCHEDULE, —

i. against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

ii. against S. No. 3, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

iii. against S. No. 4, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

iv. against S. No. 4A, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

v. against S. No. 4B, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

vi. against S. No. 39, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

vii. against S. No. 40, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

viii. against S. No. 41, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

ix. against S. No. 42, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

x. against S. No. 47, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xi. against S. No. 48, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xii. against S. No. 50, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xiii. against S. No. 51, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xiv. against S. No. 52, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xv. against S. No. 52A, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xvi. against S. No. 52B, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xvii. against S. No. 53, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xviii. against S. No. 54, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;

xix. against S. No. 55, for the entries in column (4), the entry "Nil" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 3/2023-Compensation Cess (Rate), dated the 26th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 26th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA